## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

**पीठासीन अधिकारी : श्री महावीरसिंह, आर0ए0एस0**

**राजस्व वाद संख्या : 488/2016**

वादी :–

1. रामचन्द्र पुत्र मेघाराम
जाति–कुमावत उम्र 36 वर्ष,
निवासी–बलून्दा,
तहसील–जैतारण, जिला–पाली
(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अमराराम पुत्र उदाराम जाति गुर्जर
2. सुखाराम पुत्र दीपाराम जाति गुर्जर
3. छोटीदेवी पत्नि भंवरलाल
4. सत्यनारायण पुत्र रामलाल
जातियान–कुमावत निवासीगण–
बलुन्दा, तहसील–जैतारण,
जिला–पाली।
5. तहसीलदार जैतारण जिला–पाली।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजूः 25.07.2016

उपस्थितः– 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्तागण, वादी।

**–:: निर्णय ::–** दिनॉकः– 11/02/2017

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादी की खरीदसुदा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1498 रकबा 03–04 बीघा किस्म चाही अव्वल, मौजा बलून्दा पटवार हल्का–बलून्दा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में आई हुई है। जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा आता हैं जिस पर वादी खरीद के बाद आज दिन तक अपने कब्जे अनुसार काबिज होकर बिना किसी रोकटोक के काश्त काते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी बलून्दा सरहद में आई हुई वादी ने खरीद के समय ही मौके पर अपने हक हिस्से पर सभी खातेदारों आपस में समझौता कर मौखिक बंटवाड़ा का मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। उसी माफिक आज दिन तक काबिज हैं। जो मौके पर अलग बंटी हुई हैं। नकल जमाबन्दी पादपत्र के संलग्न पेश हैं जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की राजस्व रेकर्ड में सामलाती हैं। जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा नही हो रखा हैं, मौके पर आपसी सहमति से उक्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग कर रहे हैं तथा उक्त आराजी में वादी की 1/6 वें हिस्से की भूमि आती हैं। उपरोक्त वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की राजस्व रेकर्ड में सामलाती हैं। जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा नही होने से वादी को अनेको प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा हैं। जिसमें वादी आने आराजी में कुआ खुदवाने, बैंक से ऋण लेने, अपनी आराजी को उपजाउ बनाने, उसके चारों तरफ तारबन्दी करने, खद बीज मिट्टी डालने में वादी को अनेको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं। इसलिये इन परेशानियों से बचने के लिये कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा बाबत् वादपत्र पेश हैं। उक्त आराजी में वादी की 1/6 वें हिस्से की भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त हैं। परन्तु प्रतिवादीगण वादी को मौके से बेदखल कर वादी की बेसकीमती आरजी को हड़प करना चाहते हैं तथा आये दिन उसके कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर रहे हैं तथा वादी की आराजी में कब्जा करने पर उतारू हैं। प्रतिवादीगण वादी की आराजी के चारों तरफ की गई मेड़बन्दी को बिखेर देते हैं एवं वादी की आराजी में पशुओं को खुला छोड़कर फसलों को नष्ट कर रहे हैं एवं आये दिन दखलंदाजी व हस्तक्षेप करते रहते हैं। प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

वादी को एलानिया धमकी देते हैं कि उसको मौके से बेदखल का सम्पूर्ण आराजी पर अकेले ही कब्जा कर लेंगे एवं यदि प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादों में कामयाब हो जाते हैं एवं वादी को मौके से बेदखल कर देते हैं तो वादी को अपूर्णिय क्षति होगी एवं वादी अपने जायज हक व अधिकारों से महरुम हो जायेगा। इसलिये वादी के पास कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बंटवाड़ा व स्थाई निषेधज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश हैं। दिनांक 06.07.2016 को प्रतिवादीगण ने वादी को मौके से बेदखल करने एवं अपना कब्जा जमाने की धमकी दी तब वादी नें प्रतिवादीगण को कहा कि आपसी रजामन्दी से उक्त आराजी का कानूनन बंटवाड़ा कर ले, जिस तरह से पूर्व में अपना बंटवाड़ा हो रखा हैं उसी अनुसार तहसील कार्यालय में चलकर ही आपसी रजामन्दी से मौके पर बंटवाड़ा के अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा कर लेवे परन्तु प्रतिवादीगण इन्कार हो गये एवं वादी को कहा कि वो धनबल के आधार पर उसे बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अपना हक व अधिकार जमा लेंगे। यदि प्रतिवादीगण अपने गैरकानूनी मंसूबों में कामयाब हो जाते है तो वादी को अपने साम्पैतिक हक व अधिकारों से हमेशा हमेशा के लिये महरुम होना पड़ेगा एवं मौके पर लड़ाई झगड़े होंगे, विवाद बढ़ेगा। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स बढ़ेगी। इसलिये वादी के पास कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बंटवाड़ा व स्थाई निषेधज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश हैं। प्रतिवादी संख्या 05 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से बंटवाड़े में आवश्यक पक्षकार हैं इसलिये उनको पक्षकार बनाया गया हैं। बिनाय वाद दिनांक 06.07.2016 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का बंटवाड़ा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार होने एवं वादी को मौके से बेदखल करने की एलानियां धमकी देने से बमुकाम बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली राज. में पैदा हुआ, जो श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षौत्राधिकार में हैं। इस प्रकार वकील मय वादीग ने माफिक दावा वाद डिक्री किया जाकर उक्त विवदित भूमि में वादीगण की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईस्तदुआ की।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस वास्ते जवाब दावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण 01 से 05 बावजुद सम्मनस सुचना / तामिल के एवं बार-बार आवाजें दिलाई जाने के बावजुद अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई हैं। वादी ने वाउपत्र के समर्थन में अपना तस्दीक सुदा शहादत साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। वादी उक्त विवादित भूमि का बंटवाड़ा करवाना चाहता हैं।

बहस वकील वादी की सुनी गई। प्रस्तुत वादी द्वारा वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं राजस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर गहनता से मनन किया गया। बहस वकील वादीगण पर भी गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः राजस्व रिकार्ड अनुसार मौजा बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा, तहसील जैतारण, (जिला-पाली) में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1498 रकबा 03-04 बीघा किस्म चाही अव्वल के संयुक्त अपने अपने हिस्से के सहखातेदार दर्ज हैं। वादी का मौके पर कब्जे काश्त की भूमि अनुसार नापचौप करके वादी के 1/6 हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा का प्राथमिक रुप से वाद डिक्री किया जाना उचित समझतें हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-बलून्दा, पटवार हल्का-बलून्दा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में वादी की खरीदसुदा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1498 रकबा 03-04 बीघा किस्म चाही अव्वल भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2016/2077 दिनांक 18/11/2016 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/9460 दिनांक 15/12/2016 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

## -:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-बलून्दा, पटवार हल्का-बलून्दा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में वादी की खरीदसुदा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1498 रकबा 03-04 बीघा किस्म चाही अव्वल की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

| क्र. सं. | नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत | खसरा नम्बर | रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रामचन्द्र पुत्र मेघाराम कौम-कुमावत सा0 देह खातेदार। | 1498/3 | 0-10-00 | बा0अ0 | 0.32 रू. |
| 2 | छोटीदेवी पत्नि भंवरलाल कौम-कुमावत सा0 देह खातेदार। | 1498/4 | 0-10-00 | बा0अ0 | 0.32 रू. |
| 3 | सत्यनारायण पुत्र रामलाल कौम-कुमावत सा0 देह खातेदार। | 1498/2 | 0-05-00 | बा0अ0 | 0.15 रू. |
| 4 | सुखाराम पुत्र दीपाराम कौम-गुर्जर सा0 देह खातेदार। | 1498/1 | 0-17-00 | बा0अ0 | 0.53 रू. |
| 5 | अमरा पुत्र उदा कौम-गुर्जर सा0 देह खातेदार। | 1498 | 1-02-00 | बा0अ0 | 0.68 रू. |

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण पाली

निर्णय आज दिनॉक 11/02/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)